दिनांक 03.08.2019

PRESS NOTE

tuin ckxir iqfyl dk ljkguh; dk;Z

➢ **सोषल मीडिया पर वायरल "हर्ष फायंरिग" की वीडियो मे अवैध तमंचे से फायरिंग करता दूसरा आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से फायंरिग में प्रयुक्त नाजायज एक तमंचा मय कारतूस बरामद।**

- **<u>अनावरण हुई घटना का संक्षिप्त विवरण :–</u>**
- **थाना कोतवाली बागपतः–**

सोषल मीडिया पर समारोह में अवैध असलाह से युवक द्वारा फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ था। उक्त वीडियो पर तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देषन मे थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा सोषल मीडिया पर वायरल वीडियो मे हर्ष फायरिंग करने वाले युवको को चिन्हित करते हुए दूसरा अभियुक्त **अर्जुन पुत्र जितेन्द्र निवासी सरूरपुरकलां थाना बागपत जनपद बागपत** को आज दिनांक 03.08.19 को गुफा मंदिर बागपत से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के **कब्जे से हर्ष फायरिंग मे प्रयुक्त तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस** बरामद हुआ है। **अभियुक्त का एक साथी** गोलू उर्फ विजय पुत्र महेष निवासी ग्राम सरूरपुरकलां थाना कोतवाली बागपत दिनांक 01.08.19 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त के विरूद्व जनपद बागपत के थानो मे कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है।

जांच व पूछताछ से ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त ने एक माह पूर्व भी सरूरपुरकलां मे स्कूल की छत पर बर्थडे मनाते हुए बर्थडे केक पर तमंचे से फायरिंग करने वाली वायरल वीडियो अपने साथी गोलू के साथ वायरल कर दहषत का माहौल बनाया था। जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 584/19 धारा 336 भादवि पंजीकृत है।

उक्त के अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा अपने एक साथी गोलू उर्फ विजय पुत्र महेष निवासी ग्राम सरूरपुरकलां थाना कोतवाली बागपत के साथ दो माह पूर्व कस्बा खेकडा में अपने दोस्त की बहन की षादी समारोह में डीजे पर नाचते हुए हर्ष फायरिंग कर दहषत का महौल बनाया था। जिसकी वीडियो सोषल मीडिया पर वायरल हो गई।

- **<u>अभियुक्त का नाम व पता :–</u>**

  1– अर्जुन पुत्र जितेन्द्र निवासी सरूरपुरकलां थाना बागपत जनपद बागपत।

- **<u>बरामदगी का विवरण :–</u>**

  1– हर्ष फायरिंग मे प्रयुक्त तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस।

- **<u>अभियुक्त अर्जुन का अपराधिक इतिहासः–</u>**

  1–मु0अ0सं0 1286/18 धारा 323, 504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना कोतवाली बागपत।

  2–मु0अ0सं0 584/19 धारा 336 भादवि थाना कोतवाली बागपत।

  3–मु0अ0सं0 596/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत।

➢ **05 हजार रूपये का बावरिया गैंग का ईनामी शातिर अपराधी/लुटेरा, "दीपक" पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार।'**

थाना छपरौलीः– दिनांक 02.08.19 को जनपद बागपत के थाना छपरौली क्षेत्रान्तर्गत सायं समय करीब 06:00 बजे मुखबिर की सूचना पर ग्राम तुगाना नहर पटरी पर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड हुई। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार हेतू सीएचसी बडौत ले जाया गया। पूछताछ पर घायल बदमाश ने अपना नाम **दीपक पुत्र राधेश्याम निवासी अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली** बताया। बदमाश के कब्जे से **एक तमंचा 315 बोर मय खोखा व जिंदा कारतूस एवं एक संदिग्ध लूट की मोटरसाईकिल स्पलैण्डर** बरामद की गई। अभियुक्त थाना जीआरपी मुरादाबाद, जनपद सुल्तानपुर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर **'जीआरपी मुरादाबाद से 05 हजार रूपये का ईनाम घ ाोषित'** था। इसके विरूद्व **'थाना जीआरपी मुरादाबाद, सुल्तानपुर, जनपद रोहतक हरियाणा व अजमेर, जयपुर राजस्थान में डकैती व लूट आदि के दर्जनों अभियोग पंजीकृत** है। अभियुक्त के विरूद्व अन्य जनपदों से अभियोगों के बारे मे जानकारी ज्ञात की जा रही है। उक्त बदमाश के एक साथी फरार हो गया, जिनकी तलाश जारी है।
अभियुक्त के विरूद्व थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **अभियुक्त का नाम व पताः–**
  1–दीपक पुत्र राधेश्याम निवासी अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
- **बरामदगीः–**
  1–एक तमंचा 315 बोर मय 02 खोखा व 04 जिंदा कारतूस।
  2–एक संदिग्ध लूट की मोटरसाईकिल स्पलैण्डर।
- **अभियुक्त दीपक का अपराधिक इतिहासः–**
  1–मु0अ0सं0 20/19 धारा 395, 397, 412 भादवि थाना सुल्तानपुर जीआरपी।
  2–मु0अ0सं0 266/18 धारा 392 भादवि थाना मुरादाबाद जीआरपी **(ईनामी 05 हजार रूपये)।**

➢ **थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा अवैध षस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे, 03 तमंचे अधबने, एक रिवाल्वर लाईसेन्सी, 17 जिन्दा कारतूस व तमंचे बनाने के उपकरण बरामद।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देषन जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे विषेष अभियान के अर्न्तगत दिनांक 02.08.19 को थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा ग्राम गौना से अभियुक्त **1–जोनी उर्फ बलराम पुत्र जगवीर सिंह निवासी सहवानपुर थाना चांदीनगर 2–ललित पुत्र जगदीष यादव निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत** को अवैध षस्त्रो सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से **02 तमंचे, 03 तमंचे अधबने 315 बोर, एक रिवाल्वर लाईसेन्सी, 17 जिन्दा कारतूस (10 कारतूस 315 बोर, 06 कारतूस 32 बोर व 01 कारतूस 7.62 बोर) एवं तमंचे बनाने के उपकरण** बरामद किये है। अभियुक्त के विरूद्व थाना चांदीनगर पर विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः–

1–जोनी उर्फ बलराम पुत्र जगवीर सिंह निवासी सहवानपुर थाना चांदीनगर।

2–ललित पुत्र जगदीष यादव निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगीः–

1–दो तमंचे 315 बोर।

2–तीन तमंचे अधबने 315 बोर।

3–एक रिवाल्वर लाईसेन्सी।

3–10 जिंदा कारतूस 315 बोर, 06 जिंदा कारतूस 32 बोर व 01 जिंदा कारतूस 7.62 बोर
4–तमंचे बनाने के उपकरण।

- **तीन वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

  थाना बिनौलीः– पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 175/19 धारा 323, 354, 376डी, 506 भादवि व 3/4 पोक्सो अधि0 मे वांछित अभियुक्त 1–दीपक पुत्र गौतम निवासी गल्हैता थाना बिनौली 2–रोहित पुत्र दिनेष निवासी कस्बा व थाना दनकौर जनपद गौतम बुद्ध नगर को गिरफ्तार किया गया।

  थाना खेकडाः– पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 33/19 धारा 307 भादवि मे वांछित अभियुक्त योगा उर्फ योगेष पुत्र हुकमचन्द निवासी पटटी अहिरान कस्बा व थाना खेकडा को गिरफ्तार किया गया।

- **थाना बालैनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मो0सा0 बरामद।**

  थाना बालैनीः– पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दत्तनगर तिराहे से अभियुक्त मोहित पुत्र भगवान गिरि निवासी दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की दो स्पलैण्डर बिना नम्बर के बरामद की गई।